यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,राजपुर रोड, गुजराड़ा, देहारादून उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,राजपुर रोड, गुजराड़ा,देहारादून, उत्तराखंड के माह 09/2018से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी,श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.10.2020 से 04.11.2020 तक श्री पुष्कर,व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीपवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षकद्वारा श्री पुष्कर,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 12.9.2018 से 15.9.2018 तक संपादित की गयी जिसमे06/2013से 08/2018तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी।वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2018से 09/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i)**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इस संस्थानमे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहारादून जिला (विशेषकर राजपुर रोड गुजराड़ा के क्षेत्र) के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii)(अ)लेखापरीक्षा अवधिका बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

   (₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2230030030300,2230030030301	208.37	205.98	2.39
2018-19	2230030030300,2230030030301	222.04	211.80	10.25
2019-20	2230030030300,2230030030301	10.68	201.11	-190.43
2020-21 (9/20)	2230030030300,2230030030301	07.09	128.45	-121.36

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओंके अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (9/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकारहै। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i)विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में**कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड, गुजराड़ा,देहारादून उत्तराखंड**के 09/2018 से 09/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड, गुजराड़ा,देहारादून उत्तराखंड**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह02/2019& 07/2020(Treasury head-BM 5)को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्ययकी धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2'ब'

प्रस्तर 1:- दिशानिर्देश के अनुरूप समिति का स्वतंत्र रूप से क्रियाशील न होने के कारण संस्थान का 2.50 करोड़ का उन्नयन योजना प्रभावित पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान गुजराड़ा राजपुर रोड देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान संस्थान मे संचालित उन्नयन योजना की संवीक्षा की गयी जिसमे पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति Institute Management Committee (IMC) द्वारा सर्वे पश्चात Institutional Development Plan(IDP) के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप योजनाओं से संबन्धित क्रियाकलापों का दर्ज विवरण को राज्य स्तर पर गठित State Steering Committee(SSC) से अनुमोदन प्राप्त कर एस एस सी द्वारा अनुमोदित आई डी पी की एक प्रति Director General of Employment & Training(DGET) भारत सरकार को भेजे जाने का प्रावधान है। इस संबंध मे जारी दिशानिर्देश की मुख्य बातें निम्नवत पायी गयी-

1) The IMC is an autonomous body which is fully empowered to take its own decisions for development of the ITI. The State Govt. is requested not to interfere with its functioning but to make an enabling environment for effective and successful implementation of the Scheme to make ITI self sustaining.
2) The State Government shall have the following powers in the conduct of the affairs of the Society:
   i) to give directions as to the exercise of powers and performance of functions of the Society in matter involving substantial public interest, education and training policies.
   ii) to evaluate from time to time the relevance, effectiveness, impact and efficiency of the Society in fulfilling its aims and objectives.

   The above mentioned powers will be exercised only on the recommendations of the NSC/SSC

   जांच मे पाया गया कि वर्ष 2007-08 से संचालित योजना कि राशि से उच्चीकरण कार्य के लिए संस्थान मे वर्ष 2016 तक सिविल वर्क पर रु 79.90

लाख,टूल्स/मशीनरी पर रु 47.10 लाख तथा विविध मद मे रु 69.00 लाख अर्थात कुल व्यय राशि रु 196.66 लाख पायी गयी। तद्पश्चात अपग्रेडेड ट्रेड फिटर, विधुतकार, मोटरव्हिकल, वेल्डर, पैंटर जनरल तथा कारपेंटर पर वर्ष 2016 से लेखापरीक्षा तिथि तक अपग्रेड़ेसन योजना की राशि व्यय नहीं की गयी। उपलब्ध अभिलेखों से तथ्य प्रकाश मे आया की पत्रांक/डीटीईयू/2016/1869-70 दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा पैरा संख्या-03 मे विभागीय हस्तक्षेप के अंतर्गत मशीन/टूल्स की खरीद पर अडचने आने के कारण अपग्रेड़ेसन के मामले मे आई एम सी का कार्य बाधित रहा। इस संबंध मे आई एम सी के दिशानिर्देश के अनुसार स्टेट स्टीरिंग कमिटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाना था, परंतु विभागीय साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अनुपलब्ध पाये गए तथा विभाग का आई एम सी योजना कार्य मे हस्तक्षेप के कारण 04 वर्ष से योजना का संचालन ठप पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रस्तावित नये व्यवसायों की साज-सज्जा क्रय हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव निर्देशानुसार निदेशालय को प्रेषित किया गया है। निदेशालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही नये व्ययवसायों की साज-सज्जा क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

लेखापरीक्षा मे इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, निदेशालय से वर्ष 2016 से अपग्रेड़ेसन योजना के लिए मशीन/टूल्स की खरीद हेतु मांगी गयी अनुमति लेखापरीक्षा तक प्रतीक्षित पायी गयी तथा आईएमसी की स्वायतत्ता प्रभावित किये जाने का प्रकरण पाया गया, फलतः योजना का लक्षय प्रभावित हुआ।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग - 2'ब'

प्रस्तर 2:- आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि `30.00 लाख का राजस्व अर्जन नहीं किया जाना।

As per the IMC guidelines, a target for revenue generation has been fixed as`5.00 lakh, `10.00 lakh and `15.00 lakh for the year2014-15, 2015-16 and 2016-17 respectively under the set KPIs (July 2014). As per the agreed terms spelt out in the MoA, the State Government as the owner of the ITI, can continue to regulate admissions and fees for the regular training courses in the ITI except upto 20% of the admission which are to be determined by the IMC. This provision was introduced to mobilize additional resources for the IMCs and was approved by the Union Cabinet. The State Governments are, therefore, requested to kindly note this for immediate compliance and delegates the IMCs adequate powers for the same. Orders restraining the IMCs to determine 20% admission, if any should be withdrawn immediately.

लेखापरीक्षा मे कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक संस्थान,राजपुर रोड, गुजराड़ा, देहारादून की आईएमसी से संबंधित लेखाभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि इकाई को उच्चीकरण एवं सुद्धढ़ीकरण किए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार से मार्च 2008 मे `250.00 लाख प्राप्त हुए। लेखापरीक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा आईएमसी के अंतर्गत प्राप्त बजट से निम्न मद मे व्यय किया गया:

Type of Expenditure (as per QPR)	Total since beginning of the scheme (in `)
Civil Works	8921443/-
Tools, Machinery & Equipment	4710226/-
Furniture & furnishing	2018334/-
Books and Learning Resources	1516142/-
Additional man power	1846472/-
Consumables, maintenance and training material	1221836/-
Miscellaneous expenditure	1189406/-
Total Expenditure	**21423859/-**

(उक्त व्यय मे लेखापरीक्षा अवधि मे किया गया व्यय धनराशि `471678/-सम्मलित है)।

उक्त से संबन्धित अभिलेखों के नमूना जांच मे निम्न कमियाँ/तथ्य प्रकाश मे आया:

1) आईएमसी के दिशानिर्देशानुसार इकाई को आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत ट्रेड के माध्यम से राजस्व का अर्जन करना, प्राप्ति करना एवं उसका सदुपयोग करना भी है। उक्त दिशानिर्देश मे दिये गए लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 & 2016-17 मे कम से कम `30.00 लाख के राजस्व का अर्जन किया जाना था। इकाई के द्वारा अपने MoA मे भी उक्त दिएशनिर्देश के सापेक्ष वर्षवार राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया था जो कि इस प्रकार है:

Key Performance Indicator (KPI)	Year 2014-15	Year 2015-16	Year 2016-17	Year 2017-18	Year 2018-19	**Total**
Revenue	5Lakkhs	10 Lakhs	15Lakhs	20 Lakhs	25 Lakhs	**75 Lakhs**

Generation						

लेखापरीक्षा ने इकाई मे आईएमसी के अंतर्गत उच्चिकृत एवं नए ट्रेड के माध्यम से लेखापरीक्षा तिथि तक राजस्व प्राप्ति का अर्जन शून्य पाया गया जो कि अर्जन नहीं किए जाने के कारण राजस्व हानि की श्रेणी मे आता है।वर्तमान मे भी इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का राजस्व अर्जन नहीं किया जा रहा है।

2) आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार आईएमसी के अंतर्गत एनसीवीटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उच्चिकृत/नए व्यवसाय/ट्रेड मे प्रवेश मे आईएमसी के कोटे से 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण/एड्मिशन किया जाना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्थान मे आईएमसी के अंतर्गत एनसीवीटी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उच्चिकृत/नए व्यवसाय/ट्रेड मे आईएमसी के कोटे से 20 प्रतिशत का नामांकन वर्ष 2019 से नहीं किया जा रहा है।
3) जांच मे पाया गया कि आईएमसी के अंतर्गत संस्थान मे एक नए ट्रेड Data Entry Operator (DEO) की शुरुआत वर्ष 2010 मे किया किया गया था एवं जो कि वर्तमान मे चालू नहीं है। इस व्ययवसाय के संचालन हेतु कुल धनराशि `7.89 लाख का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

बिन्दु संख्या 01-IMC के अंतर्गत राजस्व का अर्जन व्ययवायों मे आईएमसी के 20% कोटे के सापेक्ष प्रवेश शुल्क एवं बैंक खाते मे उपलब्ध धनराशि से ब्याज अर्जन के रूप मे राजस्व की प्राप्ति हुयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छात्रों से लिया गया प्रवेश शुल्क एवं बैंक खाते मे अवशेष धनराशि पर ब्याज अर्जन आईएमसी के दिशानिर्देश के अनुसार राजस्व अर्जन की श्रेणी मे नहीं आता है।

बिदु संख्या 02- आईएमसी कोटे से 20% प्रवेश किए जा रहे है। केवल विगत वर्ष 2019 से विभाग द्वारा आईएमसी कोटे से 20% प्रवेश नहीं लिया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा वर्ष 2019 & 2020 मे आईएमसी कोटे से 20% प्रवेश दिये गए दिशानिर्देश के अनुसार नहीं लिए जा रहे है।

बिदु संख्या 03- डीजीईटी भारत सरकार के आदेशानुसार डीईओ ट्रेड का संचालन वर्ष 2015 से बंद है। अतः डीईओ ट्रेड बंद होने के कारण इस पर किया गया व्यय निष्फल होने का प्रकरण इंगित किया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण को उच्चाधिकारी एवं शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग - 2'ब'</u>

प्रस्तर3:-कौशन निधि खाते से296 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि रुपये14700.00 को शासनादेश का उलंघन कर सम्प्रेक्षा तिथि-11/2020 तक वापस न लौटाया जाना एवं संस्थान द्वारा बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये बिनावर्ष-2015 से पूर्व की रुपये 27200.00 की धरोहर धनराशि को कॉलेज छोड़ चुके छात्रो को वापस करने के स्थान पर lapse **होने के कारण राजकोष मे जमा कराना ।**

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हें जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पस्ट हें कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी । संप्रेक्षा द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के छात्र निधि खाते की जांच मे पाया गया कि कॉलेज के कौशन निधि खाते मे 296 छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि रुपये14700.00वर्ष - 2015से 2018(सम्प्रेक्षा तिथि-11/20 तक) तक लम्बित पड़ी थी , एवं इकाई स्तर पर वर्ष-2019 मे प्रेवेशित छात्र जिनकी संख्या 569 थी की कुल रुपये 28450.00 की धनराशि भी सम्प्रेक्षा तिथि-11/20 तक लंबित पड़ी हुयी थी उपरोक्त धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि-11/20 तक र शून्य की धनराशि को छात्रो एवं छात्राओ के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया गया था । जबकि नियमानुसार उक्त धनराशि रुपये14700.00को छात्रो एवं छात्राओ को उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था । आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि कॉलेज ने धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/**निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि संस्थान द्वारा निदेशालय की अनुमति प्राप्त करने हेतु** छात्रो एवं छात्राओ की रुपये 14700.00 की धरोहर धनराशि को कॉलेज छोड़ चुके छात्रो को वापस करने के स्थान पर lapse होने के कारण राजकोष मे जमा कराने की कारवाई प्रारम्भ कर दी थी जो सम्प्रेक्षा तिथि -11/20 तक निदेशालय से अनुमति प्राप्त न करने के कारण संस्थान स्तर पर लम्बित थी जो इकाई स्तर पर प्रबंधन की उदासिनता का परिचायक था । आगे सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त मद से संबन्धित अन्य अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा चालान संख्या-206 दिनाक - 27200.00 द्वारा पुनः छात्रो एवं छात्राओ की कौशन मनी से संबंधित रुपये27200.00

की धनराशि को बिना निदेशालय की अनुमति के राजकोष मे जमा करा दिया गया था , उक्त धनराशि सरकार की न होकरछात्र एवं छात्राओकी थी जो उनके विकास एवं कल्याण के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा' उनके विकास की कल्याणकारी योजनाओ मे लगाना अपेक्षित था परंतु संस्थान ने ऐसा न कर उक्त धनराशि को राजकोष मे जमा करा वित्तीय नियमो का उल्लंघन किया था । उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रो एवं छात्राओ के द्वारा धरोहर धनराशि रुपये14700.00को कॉलेज छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कौशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओ द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था ।**विभाग का उत्तर मान्य नहीं हें क्योकी** इकाई द्वारा न तो धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/**निदेशालय स्तर से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे एवं** उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पस्ट हें कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कौशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी उक्त नियम के संज्ञान के बाबजुद इकाई द्वारा छात्रो को कोई नोटिस या ज्ञापन भी उपलब्ध नहीं कराया गया था **जो** प्रधानाचार्य स्तर पर गंभीर चूक थी। किया था एवं **संस्थान द्वारा बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये** बिना रुपये 27200.00 की धरोहर धनराशि को कॉलेज छोड़ चुके छात्रो को वापस करने के स्थान पर lapse होने के कारण राजकोष मे जमा कराना , जबकि उक्त धनराशि छात्र-छात्रो के विकास सम्बन्धी गतिविधियो मे व्यय होनी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो उनकी उदासिनता एवं शिथिलता को दर्शाता है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/120/2018-19	-	1,2,3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/120/2018-19	-	1,2,3	-	अप्रस्तुत	*अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

***इकाई के द्वारा शासन/उच्च अधिकारी से संस्तुत अध्यतन अनुपालन आख्या नहीं प्रस्तुत किया गया। इसलिए प्रस्तर यथावत रखा जाता है।**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड, गुजराड़ा,देहारादून,उत्तराखंड**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः -शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्रीसंजीव कुमार	प्रधानाचार्य	09/2018से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजपुर रोड, गुजराड़ा,देहारादून, उत्तराखंड**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I